



कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! परिपत्र !!

क्रमांक 80 / दो-11-1 / 2007

हरदा, दिनांक 16 / 10 / 2024

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा सार्वजनिक अवकाश के पूर्व कार्यदिवस में दोपहर पश्चात् करीब 05:00-05:30 बजे आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश तथा मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनके स्वीकृत बगैर ही न्यायिक अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण मुख्यालय से प्रस्थान कर रहे हैं।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, यदि आप सार्वजनिक अवकाश के पूर्व/पश्चात् आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश अथवा सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय से बाहर रहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सार्वजनिक अवकाश के पूर्व कार्यदिवस में 02:00 बजे पूर्व तक अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, 02:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा और आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

o/c
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

हरदा, दिनांक 18 / 10 / 2024

पृ0क्रमांक 1353 / दो-11-1 / 2007
प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, न्यायिक जिला स्थापना हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को ई-मेल व वाट्स-एप के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

o/c
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)